राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रा0पत्र संख्या– 25/2021

1. नन्दूकंवर पत्नी आशु सिंह
2. सोहन सिंह पुत्र केशर सिंह
   जाति राजपूत निवासी चिंचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. रामस्वरूप पुत्र मांगूराम
2. श्रीचन्द पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी कीतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने

निर्णय **दिनांक 31–08–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम चींचड़ोली स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के हाल खाता सं. 22 के ख.नं. 714 रकबा 0.43 है., ख.नं. 715 रकबा 0.32 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है. की प्रार्थीया सं. 1 व केशर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। केशर सिंह फौत हो गया जिसका प्रार्थी सं. 2 वारिश है। उक्त भूमि ख.नं. 714 के पुराने खसरा नंबर 559 है व हाल ख.नं. 715 के पुराने खसरा नंबर 560 है। ग्राम चींचड़ोली स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 226 के ख.नं. 682 रकबा 0.84 है के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के हाल ख.नं. 682 के पुराने खसरा नंबर 378 है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि हाल ख.नं. 682 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 714, 715 के उत्तर दिशा में सींव जोड़ स्थित है। दिनांक 27.09.2019 को पटवारी हल्का व भू.अ.नि. झुन्झुनूं द्वारा ख.नं. 714 रकबा 0.43 है., ख.नं. 715 रकबा 0.32 है. का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया और उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत ख.नं. 714, 715 की सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं भूमि ख.नं. 714, 715 की उत्तरी सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 714, 715 की पत्थरगढी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] ग्राम चीचड़ोली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 714 रकबा 0.43 है., ख.नं. 715 रकबा 0.32 है. की उत्तरी सीमा जो ख.नं. 682 के साथ लगती है उक्त खसरा नंबर की [illegible] करवाकर ख.नं. 714 व 715 की उत्तरी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट पत्थरों को [illegible] लगवाने का आदेश [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 14:20:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 22, खाता सं. 226 ग्राम चीचड़ोली, नक्शा ट्रेस, फर्द सीमज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.6.2020 पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम चीचड़ोली की जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 22 खसरा नंबर 714 रकबा 0.43 है., ख.नं. 715 रकबा 0.32 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है. प्रार्थीगण की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20–06–2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीगण पुनः ख.नं. 714, 715 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम चीचड़ोली स्थित भूमि खसरा नंबर 714 रकबा 0.43 है., ख.नं. 715 रकबा 0.32 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 31–08–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 14:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner